

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय-आदेश:-

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक NO F(2) FD(RULES) 06 PART-I JAIPUR दिनांक 11.06.2014/07.08.2014/08.08.2019 एवं 25.10.2019 की पालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिवीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्रस	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/बालिका) श्री/श्रीमती/कुमारी	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	अरुणा राठौड़-प्रताप देवली कलां, रायपुर, पाली	19.07.2017 से 02.08.2017	15 दिन	असाधारण अवकाश
		08.02.2018 से 16.02.2018	09 दिन	
		04.04.2018 से 12.04.2018	09 दिन	
		04.07.2018 से 13.07.2018	10 दिन	
		17.07.2018 से 21.07.2018	05 दिन	
		24.7.2018 से 31.07.2018	08 दिन	
		01.08.2018 से 04.08.2018	04 दिन	
		02.10.2018 से 06.10.2018	05 दिन	
		10.12.2018 से 22.12.2018	13 दिन	
		09.01.2019 से 18.1.2019	10 दिन	
21.01.2019 से 22.01.2019	02 दिन			
कुल- 90 दिवस				
2	रजनी कोली-तालडा, लक्ष्मणगढ, अलवर	18.02.2019 से 28.02.2019	11 दिन	असाधारण अवकाश
		13.07.2019 से 13.07.2019	01 दिन	
		11.09.2019 से 13.09.2019	03 दिन	
		11.01.2020 से 11.01.2020	01 दिन	
		27.01.2020 से 28.01.2020	02 दिन	
		08.02.2020 से 08.02.2020	01 दिन	
कुल- 19 दिवस				
3	संगीता सेनी-चन्दवाजी, जयपुर	15.04.2019 से 20.04.2019	06 दिन	असाधारण अवकाश
कुल- 06 दिवस				

—

AGV

क्रस	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि/बालिका) श्री/श्रीगती/कुगारी	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
4	मधु बालोटिया-चण्डालिया, तिंवरी, जोधपुर	25.02.2020 से 29.02.2020	05 दिन	असाधारण अवकाश
		24.06.2020 से 27.06.2020	04 दिन	
कुल- 09 दिवस				

नोट:-क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्मिक अरुणा राठौड के असाधारण अवकाश अवधि का इन्द्राज, सेवा सत्यापन एवं असाधारण अवकाश अवधि का वेतन आहरण नहीं करने का इन्द्राज सेवा-पुस्तिका में कर मूल सेवा-पुस्तिका इस कार्यालय को प्रेषित करावें।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 05/11/2020

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज0विज्ञान/अवकाश/2019

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर